

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 50/18

अमरुद पुत्र मुशंया जाति गददी निवासी दोनायचा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

रेस्पोंडेडान

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 4/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूंगर मु०न० 447/16 निर्णय दिनांक 30.1.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री कमलेश गुर्जर
2. रेस्पोंडेडान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 17.10.2019

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 4/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 447/16 दिनांक 30.1.17 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय दिनांक 30.1.17 के विरुद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम दौनायचा के आराजी ख०न० 1011 रकबा 0.10 है० चारागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप फसल सरसो की काशत करने का कर्ता मानकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित कर मौके से बंदखल करने के अतिरिक्त 30 दिवस में सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेडान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि निर्णय दोनों अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1110 रकबा 0.10 है0 चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। जो की पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट है। अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने संबंधी कोई रिकार्ड नहीं होने पर भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोंड के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील में बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्राप्त की जाकर की गई है। अपीलार्थी सरकारी भूमि पर अतिचार करने का आदि होने के कारण ही उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म चारागाह भूमि है। जो बेजुवान जानवरों के चरने के काम आती है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियों की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा तथा बेजुवान जानवरों के साथ अन्याय होगा। अतः अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों में अपीलार्थी के साथ अन्याय की प्रकृति अनियमितता नहीं है। निर्णय विधि अनुरूप किये गये हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षों की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1011 रकबा 0.10 है0 चारागाह भूमि पर संवत् 2073 में सरसों की फसल काश्त की जाकर अतिचार किया जाने के फलस्वरूप ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भूमि ख0न0 1011 रकबा 0.10 है0 से बेदखल, शास्ति एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल स्वयं उनके द्वारा प्राप्त की गई है। उसके बावजूद भी वह मातहत न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांत द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ने का शपथ पत्र पेश करने के कारण अपीलांत के प्रति नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील निम्न शर्तों के अध्याधीन आंशिक स्वीकार करना उचित समझता हूँ।



1. ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1011 रकबा 0.10 है0 चारागाह पर अतिक्रमण हटाने की स्वयं अपीलार्थी नायब तहसीलदार मलारना डूंगर से भौतिक सत्यापन करवायेगा एवं अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत समस्त शास्ति का भुगतान किया जावेगा।

2. अपीलार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि उसने अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य में कभी भी इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा।

उपर्युक्त शर्तें अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के संतोष के आधार पर इस निर्णय के 15 दिवस में पूर्ण कर दी जाती हैं तो अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का निर्णय अपास्त समझा जावेगा। यदि अपीलार्थी द्वारा इन शर्तों की पालना निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो नायब तहसीलदार मलारना डूंगर एवं अपीलीय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगे एवं इन निर्णय आदेशों को प्रभावी माना जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

उपर्युक्त प्रेक्षणों (Observations)के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Am 17-10-19
राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

